न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–03/2010 (विविध)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2010/00072

उनवान

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री प्यारेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्र नगर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (मृतक)
   1/1. सरवती वेवा दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्र नगर तहसील सैपऊ।
   1/2. नरेन्द्र कुमार उम्र 54 वर्ष
   1/3. सत्यदेव उम्र 45 वर्ष } समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्र नगर तहसील सैपऊ।
   1/4. शिवदत्त उम्र 40 वर्ष
   1/5. रूकमिनी पुत्री दुर्गाप्रसाद पत्नी मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी शमशाबाद तह0 शमशाबाद जिला आगरा(उ0प्र0)
   1/6.प्रेमवती पुत्री स्व0 दुर्गाप्रसाद पत्नी विष्णु उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला आगरा(उ0प्र0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. हरी सिंह
2. रामवीर
3. मुकेश
4. मंगल सिंह
5. नरेश

पुत्रगण गंगा जातिगण गडरिया निवासी ग्राम जमालपुर तहसील सैपऊ।

6. गंगा पुत्र सुन्दरलाल जाति बाडरिया निवासी जमालपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (मृतक)
7. राजवीर
8. नाहर सिंह

पुत्रगण भगवान सिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम जमालपुर तहसील सैपऊ।

.....अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2009 उनवानी दुर्गाप्रसाद बनाम हरी सिंह प्रार्थना पत्र संख्या 08/2006 न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–
1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री श्रीगोपाल शर्मा उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 24.12.2009 के विरूद्ध पेश किया गया है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के समक्ष एक वाद उनवानी दुर्गाप्रसाद बनाम हरी सिंह वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा आधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादी, प्रार्थीगण/वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1951 स्थित ग्राम दलेलपुर में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय

ने दिनांक 18.11.2005 को अप्रार्थीगण/प्रतिवादी को आदेशित किया कि वह अपीलार्थी/वादी की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1951 के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। किन्तु उक्त आदेश के चलते अप्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अवहेलना व अवमानना की गयी। अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 02(ए) सीपीसी प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादी को दण्डित करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलव किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये। अतः बहस अपीलार्थी एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार करके विधि की भूल की है कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18.11.2005 को जारी की गयी थी जो कि दिनांक 02.01.2006 तक प्रभावी रही, स्थगन आदेश आगे नहीं बढाया गया। जबकि एक बार अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित होने के पश्चात् तब तक प्रसारित मानी जावेगी तब तक उसे निरस्त नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है प्रार्थीगण ने साक्षी संख्या 01 व 02 के बयानो से अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.07.2006 को फसल को पलटने का तथ्य बखूबी साबित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि प्रार्थीगण की साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलार्थी पर मनन किया गया। अपीलार्थी की ओर से अपनी साक्ष्य के रूप में मात्र प्रदर्श–1 अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.11.2005, न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर, जो दिनांक 02.01.2006 तक प्रभावी था; प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थगन आदेश के अलावा अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा फसल पलटने का तथ्य अथवा स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना सिद्ध होती हो। इस प्रकार अपीलार्थी अपने कथनो को साबित करने में असमर्थ रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2009 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official